FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

लच्छाराम बनाम गोरधन के कायम मुकाम व अन्य

किस्म मुकदमा राज. राजस्व नं. 295/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/9/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है विप्रार्थी संख्या-1/1 से 1/3 व 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-2 स्वयं उपस्थित। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 23/09/19 को पेश हो।	Darshan Kumar 12/9/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:44:32 IST
Reason: SelfAttested

23/09/19 प्रार्थी व विपक्षी संख्या- 1/1 से 1/3 के वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मंगवाने तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विपक्षी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 14/10/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

14/10/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाइल्स पेश करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

30/10/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई फाइल्स करना चाहते हो पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/12/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

10/12/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/12/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

17/12/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी व विपक्षी संख्या- 1/1 से 1/3 स्वयं उपस्थित। जिनके द्वारा राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई प्रार्थी का आवेदन राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20/12/19 को पेश हो।

नि.अ. लच्छाराम

(नरसिंगराम)

(देवाराम)

मनीष

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:44:32 IST
Reason: SelfAttested

...म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
·/12/19	वकलाय फरीकैन उपस्थित। न्यायालय समय तंग रहने से आदेश नहीं लिखा गया अत: वास्ते मजीद बहस पत्रावली दिनांक 08/01/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO)	
08/01/2020	वकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मजीद बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:44:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 295/2019 दिनांक :– 08/01/2020

प्रार्थी

लच्छाराम पुत्र धोकलाराम जाति मेघवाल निवासी नया गांव, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोरधनराम पुत्र जेठाराम फौत के कायम मुकान
   1/1. नरसिंगाराम पुत्र गोरधनराम
   1/2. दीपाराम पुत्र गोरधनराम
   1/3. मनीष पुत्र गोरधनराम
   जातियान्–मेघवाल, निवासीयान्–नया गांव, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा बायतु
3. तहसीलदार, बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री कुम्भसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 971 रकबा 20.00 बीघा ग्राम नया गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1028/974 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:44:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के द्वारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये गये बिन्दु संख्या B से C के अनुसार निःशुल्क रास्ता दिये जाने हेतु सहमती दी गई। जिसके बदले प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1032/796 मौजा पुराना गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी में से 01.05 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क X से Y अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को मूल आवेदन पर सुना गया। उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली के संलग्न राजस्व रैकर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 971 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नया गांव पटवार मण्डल नगोण धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1028/974 में से होकर खसरा नम्बर 971 तक पहुंचने हेतु राजीनामा के साथ प्रस्तुत नक्शा अनुसार 15 फीट चौड़ा व 370 फीट लम्बा मुरड़िया रोड़ तक मार्क B से C तक दर्शाये गये बिन्दु अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त रास्ते हेतु भूमि विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दिये जाने से प्रार्थी को कोई प्रतिकर शुल्क देय नहीं करना है।

आदेश आज दिनांक 08/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:44:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु